संख्या /XXXX/2014–62/2013

श्री दीपक ज्योति/AR/प्र०अ० पत्रावली में रखें।

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तराखण्ड, हरिद्वार।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय
पत्रांक 4731
दिनांक 3/1/15
देहरादून

02-01-2015

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक ~~दिसम्बर, 2014~~

विषयः– अधियाचन वापस लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या 119/XXXVI (3)/2014/25(1)/ 2014 दिनांक 21.03.2014 के द्वारा उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिसूचना की धारा 2 में हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं गुरूकुल कांगड़ी, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय को उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून का परिसर घोषित किया गया है। उपरोक्त संशोधित विधेयक की धारा 12(3) में उल्लिखित है कि आयुष चिकित्सा पद्धति की शिक्षा की पदोन्नति और प्रसार में तथा उसके लिए अनुसंधान, शिक्षण, अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए प्राविधान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

2. अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऋषिकुल/गुरूकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में प्रोफेसर, रीडर व प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 717/XXXX/2012–39/2012 दिनांक 16.07.2012 व पत्र संख्या 687/XXXX/2012–174/2011 दिनांक 09.08.2012 द्वारा प्रेषित अधियाचनों को निरस्त किया जाता है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या–2051/XXXX/2014–62/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड।
2. कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

F:\colleges\letter.doc

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : info@uau.ac.in

पत्रांक : 1809 / उ0आ0वि0 / अधि0 / 2014–15 **दिनांक : 17 जनवरी, 2015**

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,
लोक सेवा आयोग,
उत्तराखण्ड, हरिद्वार।

विषय :– ऋषिकुल / गुरूकुल परिसर हेतु शैक्षणिक संवर्ग पर नियुक्ति हेतु आहूत साक्षात्कार निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 की धारा–2 के अनुपालन में हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं गुरूकुल कांगड़ी, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय को उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून का परिसर घोषित करते हुये उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियत्रंण में रखा गया है। इस संबंध में शासनादेश संख्या : 1154 / XXXX / 2014–62 / 2013 दिनांक 23 जुलाई, 2014 **(संलग्नक–01)** के क्रम में ऋषिकुल / गुरूकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार को विश्वविद्यालय के नियंत्रण पर रखे जाने संबंधी आदेश जारी किया गया।

2– आपके संज्ञान में लाना है कि शासन द्वारा अपने पत्र संख्या : 1690 / XXXX / 2014–62 / 2013 दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 **(संलग्नक–02)** के क्रम में विश्वविद्यालय के परिसर ऋषिकुल / गुरूकुल विशविवद्यालय परिसर में शिक्षकों एवं तकनीकी / गैर तकनीकी कार्मिकों की पदोन्नति / नियुक्ति किये जाने की अनुमति इस विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी है। साथ ही महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा अपने पत्र संख्या : 2978 / जी0एस0 / शिक्षा / C12-I / 2014 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 **(संलग्नक–03)** के क्रम में शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन को वापस लिये जाने एवं ऋषिकुल / गुरूकुल विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षकों की पदोन्नति एवं नियुक्ति प्रदान किये जाने की अनुमति विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी है। **तद्क्रम में शासन द्वारा आपको प्रेषित पत्र संख्या : 2051 / XXXX / 2014–62 / 2013 दिनांक 02.01.2015 (संलग्नक–04) के क्रम में अधियाचनों को निरस्त किया जा चुका है।** विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा ऋषिकुल / गुरूकुल विश्वविद्यालय परिसर में प्रोफेसर, रीडर एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु साक्षात्कार पत्र अभ्यर्थियों को निर्गत किये जा रहे हैं तथा 08 फरवरी, को साक्षात्कार आयोजित किये जा रहे हैं। जिससे विश्वविद्यालय को विधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है।

क्रमशः 2 / ....

3– तद्क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 की धारा–2 के क्रम में हरिद्वार स्थित ऋषिकुल/गुरूकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार में प्रोफेसर, रीडर एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जो भी अधियाचन शासन द्वारा प्रेषित किये गये थे, को शासन द्वारा अधियाचन निरस्त किये जाने फलस्वरूप साक्षात्कार पत्र/आहूत साक्षात्कार निरस्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी एवं शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कोई विधिक अड़चन उत्पन्न न हो।

4– उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय की सहमति/अनुमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

16.01.15.

(डॉ0 मृत्युंजय कुमार)

कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1809 /उ0आ0वि0/अधि0/2014–15/तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, माननीय आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री, विधान सभा, देहरादून।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, देहरादून।
6. निदेशक परिसर, ऋषिकुल/गुरूकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष/सचिव, लोक सेवा आयोग हरिद्वार से सम्पर्क स्थापित करते हुये प्रकरण का निस्तारण करने का कष्ट करें।
7. वैब मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

16.1.15

(संजीव कुमार पाण्डेय)

सहायक कुलसचिव।